This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 जून, 2013 / 7 आषाढ़, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd June, 2013

No. HHC/GAZ/14-326/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 7 days' commuted leave *w.e.f.* 28-5-2013 to 3-6-2013 in favour of Ms. Monika Sombal, Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC-IV, Hamirpur, H. P.

Certified that Ms. Monika Sombal has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms.Monika Sombal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC–IV, Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th June, 2013

No. HHC/GAZ/14-270/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant of 12 days' earned leave *w.e.f.* 1-07-2013 to 12-07-2013 in favour of Shri Yajuvender Singh, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Jogindernager, District Mandi, H. P.

Certified that Shri Yajuvender Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Yajuvender Singh would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Jogindernager, District, Mandi, H. P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th June, 2013

No. HHC/GAZ/14-306/09.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 21 days' commuted leave *w.e.f.* 17-12-2012 to 6-1-2013 with permission to suffix Sunday falling on 16-12-2012 in favour of Smt. Neha Kaisth, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Nahan, H. P.

Certified that Ms. Neha Kaisth has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Neha Kaisth would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC, Nahan, H. P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th June, 2013

No. HHC/Admn.3(414)95.—02 days commuted leave on 29-4-2013 and 30-4-2013 with permission to prefix Sunday falling on 28-4-2013, is hereby sanctioned, expost facto, in favour of Sh. Baldev Singh Rana, Secretary, of this Registry.

Certified that Sh. Baldev Singh Rana has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th June, 2013

No. HHC/Admn.6(23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H .P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(I), Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till posting of new Presiding Officer in the aforesaid Court.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 1/IX-A/NT/2013 तारीख दायर दावा : 17–1–2013 अग्रिम तारीख पेशी : 10–7–2013

1. श्रीमती सुरजो देवी, 2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्रियां श्री गाहलो, निवासी सुर्खिगला, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

श्री ज्ञानो पुत्र श्री वैंसू, निवासी मुहाल रिखनाली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश आदि . . प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नां0 14/15, खसरा नम्बरान कित्ता–7, रकबा तादादी 12–17–00 बीघा, मौजा रिखनाली, परगना बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

उपरोक्त प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा रिखनाली, परगना बाथरी के खाता खतौनी नं0 14/15, खसरा नम्बरान कित्ता–7, रकबा तादादी 12–17–00 बीघा की तकसीम करवाने हेतु दरखवास्त गुजारी है। जिसमें प्रत्यार्थीगण सर्व श्रीमती छुनको सुपुत्री श्री वैंसू, श्री तिलक राज सुपुत्र श्री भगतो, श्रीमती विद्या सुपुत्री श्री ढल उर्फ गुरदयाल, श्री चन्दो सुपुत्र श्री मुसदी आदि जोकि फौत हो चुके हैं, उनके

जायज वारसान तथा श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी गांव लोथरी, डाकघर कोहलड़ी, तहसील चम्बा, संसार चान्द पुत्र श्री दयाल उर्फ गुरदयाल, निवासी सुहागलू, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, श्रीमती खेडो देवी पत्नी श्री सोभिया राम, निवासी कुट, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, श्रीमती फुलमो देवी पत्नी श्री दीनानाथ, निवासी मुघनूई, डाकघर ककीरा, तहसील चुवाड़ी, श्रीमती अछरी देवी पत्नी श्री देव राज, गांव खन्यारू, डाकघर चील बंगला, तहसील चम्बा, श्रीमती केसरी पत्नी श्री अमरनाथ, निवासी धार, डाकघर द्रड्डा, तहसील चम्बा, श्रीमती मैना पत्नी श्री परस राम, निवासी गांव डुगा डाकघर कोहलड़ी, तहसील चम्बा, श्रीमती निको पत्नी श्री लाल चन्द, निवासी गांव चील बंगला, तहसील चम्बा को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10–7–2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं अन्यथा गैर–हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5–6–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————

In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Vikas Chauhan, aged 33 years s/o Shri Bidhi Chand, r/o Village Trapher, P. O. Mali, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H. P.).

2. Pooja Rana, aged 19 years d/o Shri Sanjeev Kumar, r/o Village Thar, P. O. Nohar, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

*Subject.—*Notice of the Intended Marriage.

Shri Vikas Chauhan and Pooja Rana have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-8-2013. The objection received after 12-8-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-6-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Vikas Kumar, aged 36 years s/o Shri Surender Kumar, r/o V. P. O. Khalayara, District Kangra (H. P.).

2. Pooja Thakur, aged 34 years d/o Shri Mahajan Singh, r/o V. P. O. Sarkaghat, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

*Subject.—*Notice of the Intended Marriage.

Shri Vikas Kumar and Pooja Thakur have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-7-2013. The objection received after 11-7-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-6-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Parbhat Kiran Sharma, aged 27 years s/o Shri Deep Chand Sharma, r/o Village Kandiyoh, P. O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Reenu Sharma, aged 26 years d/o Shri Roshan Lal, r/o V. P. O. Narkanda, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) at present both are residing in the house of Shri Piar Chand s/o Shri Jagdish Chand, r/o V.P.O. Khaggal, Tehsil and District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

*Subject.—*Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Parbhat Kiran Sharma and Smt. Reenu Sharma have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-4-2013 at Nabahi Devi Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 18-7-2013. The objection received after 18-7-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-6-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

In the Court of Shri Satish Kumar Sharma, HPAS, Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Arun Kumar, aged 26 years s/o Shri Ramlok, r/o V. P. O. Kuthari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Rasila Devi, aged 30 years d/o Shri Sohan Singh, r/o V. P. O. Chhat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present both are residing in the house of Smt. Sita Devi w/o Shri Suresh Kumar, r/o Ward No. 11 near Police Line, Subhash Nagar, Tehsil and District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Arun Kumar and Smt. Rasila Devi have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-4-2013 at Shiv Parwati Mandir, Dosarka, Tehsil and District Hamirpur (H. P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 18-7-2013. The objection received after 18-7-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-6-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SATISH KUMAR SHARMA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री करतार चन्द पुत्र श्री शौभा, निवासी महाल नौराहरा, मौजा वजनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

श्री करतार चन्द पुत्र श्री शौभा, निवासी महाल नौराहरा, मौजा वजनूर, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम करतार चन्द है, परन्तु राजस्व अभिलेख में चमारू दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9–7–2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता श्री चुनी लाल की मृत्यु दिनांक 22–4–2011 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। दर्ज की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9–7–2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लालमन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा 37(2) तारीख पेशी : 19—7—2013

श्री तेज सिंह पुत्र श्री हेत राम, गांव गनग्रां, डा0 पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन—पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।

श्री तेज सिंह पुत्र श्री हेत राम, गांव गनग्रां, डा0 पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बडीधार के रिकॉर्ड में तेज सिंह दर्ज है जबकि मुहाल बह, तहसील पधर के तमाम भू—राजस्व अभिलेखों में तेज राम नाम दर्ज है। जो दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम तेज राम उर्फ तेज सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 19—7—2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर—हाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताारित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री लालमन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा 37(2) तारीख पेशी : 19—7—2013

श्री छरूण्डू राम पुत्र श्री टुटू, गांव दलौसा, डा0 झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन—पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।

श्री छरूण्डू राम पुत्र श्री टुटू, गांव दलौसा, डा0 झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड व बच्चों के पाठशाला प्रमाण—पत्र में छरूण्डू राम दर्ज है जबकि मुहाल दलौसा—380 के तमाम भू—राजस्व अभिलेखों में श्याम लाल नाम दर्ज है। जो दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम श्याम लाल उर्फ छरूण्डू राम दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 19—7—2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर—हाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री लालमन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा 37(2) तारीख पेशी : 19—7—2013

श्री भाटकू पुत्र श्री फिन्हू राम, गांव कुन्नू, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन—पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दर्ज करने बारा।

श्री भाटकू पुत्र श्री फिन्हू राम, गांव कुन्नू, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन—पत्र गुजारा है कि जब वह छोटा था तो उस वक्त प्रार्थी के पिता ने उसकी माता को घर से निकाल दिया था। उसके बाद उसकी माता अपने माता—पिता के घर में रहती थी। प्रार्थी भी अपनी माता के साथ रहता था। प्रार्थी अनपढ़ व अज्ञानता के कारण अपना व अपने परिवार का नाम ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका व उसके परिवार का नाम ग्राम पंचायत कुन्नू में दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 19—7—2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर—हाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री लालमन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री कन्हू राम, गांव कुलान्दर, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पुत्र अशोक कुमार का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।

श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री कन्हू राम, गांव कुलान्दर, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में भूलवश दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने व्यवसाय के चलते घर से बाहर चला जाता था। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम अशोक कुमार व जन्म तिथि 7–10–2007 को ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अशोक कुमार पुत्र श्री चन्द्रमणी, निवासी कुलान्दर, डा0 द्रंग, तहसील पधर दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 19–7–2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक..............................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 13 तारीख मरजुआ : 15–6–2013 तारीख पेशी : 15–7–2013

ब मुकद्दमा :

नेहा ठाकुर सुपुत्री श्री देविन्द्र कुमार, निवासी गांव व डा0 पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . आवेदिका।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका नेहा ठाकुर ने इस न्यायालय में एक आवेदन–पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि 22–11–1989 परिवार रजिस्टर पंचायत दर्ज है परन्तु जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है। आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दिए जावें। फरीकदोयम आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा ही की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोयम आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 15–7–2013 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15–6–2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहन सिंह नेगी, तहसीलदार, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती केवला देवी पत्नी श्री प्रेम, ग्राम वासी छिचना, डा0 मडावग, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्रीमती केवला देवी पत्नी श्री प्रेम, ग्राम वासी छिचना, परगना पुन्दर, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका असली नाम केवला देवी है जबकि राजस्व अभिलेख में गलती से गुड्डी दर्ज है। इसकी पुष्टि हेतु प्रमाण–पत्र सचिव ग्राम पंचायत माटल व पहचान–पत्र भारत निर्वाचन आयोग प्रस्तुत किया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जन–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या रिश्तेदारों को उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में गुड्डी के स्थान पर केवला देवी करने बारे कोई उजर या एतराज होतो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15–7–2013 को हाजिर अदालत आवे हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13–6–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गया ।

मोहर।

मोहन सिंह नेगी,
तहसीलदार,
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 33/2013 तारीख दायर : 17–6–2013

श्री मिंडकू राम पुत्र स्व0 श्री धर्मू, निवासी गांव पशाड़ा, डाकघर धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मिंडकू राम पुत्र स्व0 श्री धर्मू, निवासी गांव पशाडा, डाकघर धार–गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री श्रीमती कृष्णा देवी की शादी वर्ष 2009 में श्री शीशपाल पुत्र स्व0 श्रीमती सीता देवी, निवासी गांव थानेधार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई है तथा तब से प्रार्थी का दामाद आवेदक के साथ गांव पशाड़ा, ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में निवास करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह भी दर्शाया है कि आवेदक का नाम भारत की किसी भी पंचायत एवं नगर परिषद् में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने दामाद श्री शीशपाल का नाम अपने परिवार के साथ स्थानीय ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के दामाद श्री शीशपाल का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16—7—2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17—6—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप—मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) ने प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 25—1—2005 को श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री हेमराज पत्नी श्री मनजीत सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय नगर परिषद् बद्दी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) व श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री हेमराज पत्नी श्री मनजीत सिंह, निवासी ग्राम बिल्लांवाली लबाणा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) की शादी कार्यालय नगर परिषद् बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5—7—2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 5—7—2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12—6—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
उप—मण्डलाधिकारी (ना0),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 26th *June,* 2013

No. STE-E(3)-9/2010-II.—In compliance of the orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh dated 10-1-2013 in CWP 1885/2010 titled as Sanjeev Kumar Versus State of H.P. and others and in exercise of the powers vested in him under the provisions of Section 3-A of the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to impose prohibition on the traders, retailers and vendors in the State of Himachal Pradesh to store, supply and sale of the following items in the packaging made of Non-Biodegradable materials in the State of Himachal Pradesh *w.e.f.* 1-7-2013 :—

1. Chips/Wafers
2. Kukure/Mad angles
3. Biscuits
4. Namkeen
5. Lollypop /candy/candy bar /toffees/sweets/chewingum
6. Cheese puffs
7. Cookies
8. Aampappars
9. Ice cream & Ice cream candies
10. Chocolates and chocolates candies
11. Maggie/Noodles
12. Sugary cereals/cornflakes/breakfast cereals coated with sugar
13. Deep Fried Samosas
14. Pakoras
15. Pizzas
16. Burgers
17. Patties
18. French fries
19. Colas and carbonated drinks

20. Shakes

21. Synthetic & fried beverages

22. Indian sweets i.e. Jalebees, Gulab Jamuns etc.

23. Naan, Pao Bhajee

24. Gol Gappa & other street fruits

25. Creamy Cakes & other fruit cakes.

Any person causing breach of the aforesaid prohibition shall be liable for the penalties as per the provisions of the Act ibid.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to impose prohibition on handing over/delivery of books magazines, readymade clothes, suit cases, hand bags, utensils, gift items, mattresses and the other items rapped in polythene/Nonbiodegradable materials listed in Schedule of H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, by the traders, retailers, vendors and shopkeepers to their customers throughout the State of Himachal Pradesh. It will the responsibility of the persons selling such items to remove and collect the polythene/plastic covers made of non-biodegradable material before the items rapped in such materials are sold to anyone and to ensure its proper disposal and constructive use like construction of the roads etc.

By order,
Sd/-
Chief Secretary,
Government of Himachal Pradesh,
(In-charge Env., S & T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।